यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला** के माह 11/2016 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.01.2019 से 22.01.2019 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.11.2016 से 19.11.2016 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 10/2014 से 10/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 10/2014 से 10/2016 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 11/2016 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 11/2016 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभाग के अन्तर्गत 5 रेंजों द्वारा वन एवं वन सम्पदा की सुरक्षा एवं रखरखाव से सम्बन्धित समस्त कार्य किये जाते है।

3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	547.17
2016-17	372.81
2017-18	310.29

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-		56.80	56.80	190.22	190.22	0.00	0.00
2016-17	-		88.19	88.19	1.00	1.00	0.00	0.00
2017-18	-		730.71	58.35	0	0	0.00	672.36

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2017-18	इन्टेसिफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	-	5.39	5.39	

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: 1. वनों की अग्नि से सुरक्षा 2. बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण 3. मानव वन्य जीव संघर्ष राहत निधि 4. इंटेन्सिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 1:प्रबन्ध योजना के अभाव में लीसा उत्पादन नहीं होने से राजस्व हानि ₹ 3.75 करोड़ ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग की प्रबन्ध योजना वर्ष 2005-06 से 2014-15 के अनुसार प्रभाग की 05 राजि के 6478.01 हेक्ट॰ क्षेत्रफल में 383000 लीसा घाव उपलब्ध थे जिनसे 2.00 कुंतल प्रति 100 वृक्ष लीसा उत्पादन निर्धारित था। अनुमानित लीसा घावों की संख्या के 75% घावों अर्थात 287250 घावों से आरक्षित वन से लीसा की अनुमानित वार्षिक प्राप्ति 5745 कुंतल निर्धारित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रभाग की प्रबन्ध योजना 30 सितंबर 2015 को समाप्त हो चुकी थी तथा लेखापरीक्षा तिथि (01/2019 तक) प्रबन्ध योजना नहीं बनायी गयी थी। प्रबन्ध योजना के अभाव के कारण प्रभाग मे लीसा विदोहन का कार्य माह 10/2015 से नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार प्रभाग लीसा फसल वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 03 वर्षों में लीसा की अनुमानित वार्षिक प्राप्ति 5745 कुंतल वार्षिक की दर से 17235 कुंतल लीसा उत्पादन नहीं कर सका।

प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2015-16 लीसा फसल में लीसा का औसत मूल्य ₹ 5544/- प्रति कुंतल एवं आल-इन-कॉस्ट ₹ 3367/- प्रति कुंतल था। इस प्रकार प्रभाग 03 वर्षों में ₹ 3,75,20,595/- {(17235*2177/कुंतल (5544-3367)} की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि प्रबन्ध योजना की समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात प्रति वर्ष प्रभाग की वार्षिक योजना बनाई गयी थी जो कि स्वीकृत न होने की वजह से कार्य नहीं कराये जा सके।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि National Working Plan Code 2014 के अनुसार प्रबंध योजना समाप्त होने के 02 वर्ष पूर्व नयी प्रबन्ध योजना बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिये जिससे कि समय से नयी प्रबन्ध योजना लागू हो सके। परन्तु, प्रभाग की प्रबन्ध योजना विगत 04 वर्षों से नहीं बन सकी जिसके कारण लीसा उत्पादन का कार्य बाधित रहा।

अतः प्रबन्ध योजना के अभाव मे लीसा उत्पादन न होने से अनुमानित ₹ 37520595/- की राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 1:वन-निगम द्वारा विकास कार्य लाटों की रॉयल्टी जमा न कराया जाना ₹ 70.77 लाख।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तो से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

इसी पत्र के बिन्दु संख्या 31(2) के अनुसार शंकुधारी प्रजातियों के लौटों के अलावा अन्य प्रजातियों के लौट के लिये निगम के लिये किश्तों की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:

(क) लौट के मूल्य का एक तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह मार्च

(ख) लौट के मूल्य का दूसरा तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह जून

(ग) लौट के मूल्य का बकाया: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह सितंबर

बिन्दु संख्या 31 (3क)(अ) के अनुसार चीड़ की लौट के संबंध मे किश्तों का भुगतान भी उक्त नियमानुसार ही किया जायेगा।

बिन्दु संख्या 31(ख) के अनुसार देवदार, कैल व फर की लाटों के लिए किश्तों की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:

1) एक तिहाई अगली सितंबर की पहली तारीख

2) दूसरा तिहाई अगली पहली जून

3) तीसरी किश्त अगली पहली दिसम्बर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग के लॉट आवंटन से सम्बन्धी पत्रावली व पंजिका (सी-12) की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 व 2017-18 में वन विकास निगम, पुरोला को आरक्षित वन क्षेत्र में विकास कार्य की लाटों का आवंटन किया गया था। अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2016-17 में विभिन्न प्रजातियों के 151 वृक्ष जिनका आयतन 280.11 घन मीटर था तथा वर्ष 2017-18 में विभिन्न प्रजातियों के 1964 वृक्ष जिनका आयतन 2907.68 घन मीटर था, वन विकास निगम को आवंटन किया गया था।

जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम, पुरोला द्वारा उक्त आवंटित विकास कार्य की लाटों से संबन्धित रॉयल्टी का भुगतान प्रभाग को नहीं किया गया था। वर्ष 2016-17 हेतु आवंटित लाटों से संबन्धित रॉयल्टी वन विकास निगम द्वारा नियमानुसार माह मार्च 2017, जून 2017 व सितम्बर 2017 तथा वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित लाटों से संबन्धित रॉयल्टी निगम द्वारा माह मार्च 2018, जून 2018 व सितम्बर 2018 में तीन किश्तों में जमा करनी थी। इसके अतिरिक्त कैल व फर से संबन्धित रॉयल्टी भी प्रारम्भ में वर्णित नियमानुसार की जानी थी। परन्तु, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा इन लाटों से संबन्धित कोई भी धनराशि प्रभाग में जमा नहीं की गयी थी। आवंटित लाटों से संबन्धित वर्ष 2016-17 व 2017-18 की रॉयल्टी-दरों के आधार पर गणना करने पर वर्ष 2016-17 हेतु रॉयल्टी **₹ 8,41,286.25** व वर्ष 2017-18 हेतु रॉयल्टी **₹ 62,35,955.67 (कुल ₹ 70,77,241.92)** की धनराशि रॉयल्टी के रूप में आंगणित हुई (**विवरण संलग्न**)।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर मे कहा गया कि वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी की राशि जमा नहीं करायी गयी है जबकि रौयल्टी की राशि जमा कराये जाने हेतु प्रभाग द्वारा समय-समय पर निगम से पत्राचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि रॉयल्टी जमा न कराये जाने हेतु वन विकास निगम द्वारा उनके स्थायी आदेश संख्या 3830/13-1/विकास कार्य/रॉयल्टी दिनाँक 14.09.2016 का हवाला दिया गया है। प्रभाग द्वारा उत्तर में यह भी बताया गया कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड की अध्यक्षता मे दिनाँक 21.07.2018 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु-3 के अनुसार लौटों के विक्रय से प्राप्त राशि मे से 20 प्रतिशत धनराशि की कटौती करने के उपरांत अवशेष राशि भी प्रावधानानुसार जमा नहीं कराई गयी है।

अतः वन विकास निगम द्वारा विकास कार्य लाटों की रॉयल्टी **₹ 70,77,241.91** जमा न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

राजस्व लेखापरीक्षा

भाग 2 "अ"

प्रस्तर-2: क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कम धन राशि ₹ 27.25 लाख न लिये जाने से राजस्व क्षति ।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणो के सापेक्ष देय धनराशि के निर्धारण के संबंध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, बौनी प्रजाति का वृक्षारोपण, रोड-साइड वृक्षारोपण तथा रिक्त पड़े स्थानो/100 वृक्षों के वृक्षारोपण की दर का निर्धारण निम्नवत किया गया था:

वसूली वर्ष	रोपण वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे. (रु में)	बौनी प्रजाति वृक्षारोपण की दर प्रति हे. (रु में)	रोड साइड वृक्षारोपण प्रति किमी (रु में)	रिक्त पड़े स्थानो/100 वृक्षों के वृक्षारोपण की दर (रु में)
2015-16	2018-19	209366.00	209366.00	322102.00	1000/प्रति वृक्ष
2016-17	2019-20	230302.00	230302.00	345312.00	1000/प्रति वृक्ष
2017-18	2020-21	253332.00	253332.00	379843.00	1000/प्रति वृक्ष

उक्त के अतिरिक्त प्रभावित वृक्षों के 10 गुणी संख्या में वृक्षों के रोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तदर्थ कैम्पा कोष, नई दिल्ली में जमा करायी जानी थी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रयोग (विद्धुत पारेषण लाइन व जल-विद्धुत परियोजना) एवं सड़क निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच में निम्न बिन्दु प्रकाश मे आए:

(A) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/01/101/2012/एफसी/794 दिनाँक 05.08.2016 द्वारा जनपद उत्तरकाशी में मोरी तहसील के अन्तर्गत 60 मेगावाट क्षमता की नैटवाड-मोरी जल विद्धुत परियोजना के निर्माण हेतु 39.8805 हेक्ट॰ वन भूमि को सतलुज जल विद्धुत निगम को 30 वर्षो हेतु लीज पर प्रत्यावर्तन किये जाने की विधिवत स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले एन॰पी॰वी॰ की धनराशि ₹ 3,74,47,790/- तथा 80 हे॰ वन एवं सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि ₹ 1,68,16,277/- दिनाँक 06.04.2016 को जमा की गयी थी। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि वसूली वर्ष 2015-16 की दर रु 209366/- के आधार पर जमा की थी जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वसूली वर्ष 2016-17 हेतु नियमानुसार निम्नवत जमा करायी जानी थी:

मद	दर (₹ में)	क्षेत्रफल	देय धनराशि (₹ में)	जमा की गयी राशि (₹ में)	अन्तर (₹ में)
क्षतिपूरक वृक्षारोपण	230302/हे॰	80 हेक्ट॰	18424160	16816277	16,07,883

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण मद में रु 16,07,883/ कम जमा कराये गये थे।

(B) शासन के पत्रांक 341/x-4-16/1(224)/2015 दिनाँक 04.04.2016 द्वारा जनपद उत्तरकाशी में किराणु-धुनियारा थौरिण्डयाधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.533 हेक्ट॰ (लम्बाई 4.45 किमी वन क्षेत्र में) वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया गया था। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.066 हे॰ भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु ₹ 10,10,438/- एवं प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षारोपण हेतु धनराशि ₹ 7,85,110/- दिनाँक 03.11.2015 द्वारा कैम्पा फंड मे जमा की गयी थी। वसूली वर्ष 2015-16 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर ₹ 209366/- प्रति हे॰ की दर से 7.066 हे॰ वन भूमि पर तथा रोड साईड वृक्षारोपण की दर ₹ 322102/- प्रति हेक्टे0 की दर से 4.45 कि0मी0 की सड़क पर वृक्षारोपण की विभिन्न मदों में धनराशि नियमानुसार निम्नवत जमा करायी जानी थी:

मद	दर (₹ में)	क्षेत्रफल /प्रभावित वृक्षों की संख्या	देय धनराशि (₹ में)	जमा की गयी राशि (₹ में)	अन्तर (₹ में)
क्षतिपूरक वृक्षारोपण	209366 प्रति हेक्टेअर	7.066 हेक्ट॰	1479380.00	1010438.00	468942.00
रोड साइड वृक्षारोपण	322102 प्रति हेक्ट॰	4.450 किमी	1433354.00	785110.00	648244.00
योग			**29,12,734.00**	**17,95,548.00**	**11,17,186.00**

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण मदों में ₹ 11,17,186/- की राशि कम जमा कराई गयी थी।

इस प्रकार उपरोक्त दोनों प्रकरणो मे पाया गया कि वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु हस्तांतरण में प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की मदों में ₹ 27,25,069/- (1607883 +1117186) कम जमा कराये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा बिन्दु A के अन्तर्गत ₹1607883 कम जमा कराने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया एवं बिन्दु B के संबंध में कहा गया कि शासनादेश की स्वीकृति के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कारवाई गयी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण के एक अन्य प्रकरण (टिकोची पल से झाकुली कंडारी धार तक मोटर मार्ग का निर्माण-वसूली वर्ष 2016-17) हेतु नियमानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर ₹ 230302/- प्रति हे॰ की दर से 9.945 हे॰ भूमि हेतु **₹** 22,90,353/- की धनराशि वसूल की गयी थी।

अतः धनराशि **₹ 27,25,069/-** की राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-2: धनराशि ₹ 38.50 लाख के चालान का सत्यापन न होना ।

वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह विभागीय प्राप्तियों का कोषागार की सूची से मिलान किया जाना चाहिये। सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या वित्त (लेखा) अनुभाग-1/संख्या-ए-1-1189/दस-96-10(1)-93 दिनाँक 25.06.1996 द्वारा भी विभाग की शासकीय प्राप्तियों के सदर्भ मे समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों का ध्यान वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 27-ए की टिप्पणी(4) की ओर आकृष्ट किया गया था जिसमे यह प्रावधान है कि कोषागारों में भुगतानों (शासकीय प्राप्तियों) के प्रकरणों में आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी की चालान पर प्राप्ति को देखकर कैश बुक की प्रविष्टियों को प्रमाणित किया जायेगा तथा मासिक प्राप्तियाँ ₹ 1000 से अधिक हों, तो उसका सत्यापित विवरण कोषागार से प्राप्त कर कैश-बुक में पोस्टिंग से मिलान किया जाये। वित्तीय अनियमितताओं, शासकीय धन के गबन एवं दुर्विनियोग के प्रकरणों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु यह आवश्यक है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों का यह दायित्व निर्धारित किया जाये कि उक्त नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में राजस्व प्राप्ति से संबन्धित चालानो का संबन्धित कोषागार की सूची से मिलान करने पर पाया गया कि वन विकास निगम, टोन्स द्वारा प्रभाग के पक्ष में धनराशि ₹ 38,50,348/- चालान संख्या 00440 दिनाँक 28.03.2017 द्वारा जमा की गयी थी। परन्तु, यह धनराशि कोषागार की सूची (CTR) में परिलक्षित नहीं हुयी। अतः जमा धनराशि का कोषागार की सूची से मिलान न हो पाने के कारण लेखापरीक्षा में चालान की वैधता सत्यापित नहीं हो पायी।

उपरोक्त को इंगित करने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि उक्त चालान की विधिवत जाँच कर व सत्यापन करवाकर लेखापरीक्षा कार्यालय को को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 3: मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि में नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण लम्बित भुगतान ₹ 35.22 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2228/X-2/2012-19(37)/2003, दिनाँक 10.12.2012 द्वारा वन्य जीवों द्वारा जान-माल को क्षति पहुंचाये जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निमित्त "मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012" प्रख्यापित की गयी। नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में **₹ 20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा। अधिसूचना के बिन्दु 9(1)(एक) के अनुसार वन्य जीवों द्वारा मारे जाने पर पीड़ित व्यक्ति/संबन्धित आश्रित को घटना की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 30% धनराशि अग्रिम रूप में पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को जनमानस की क्षति की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घण्टे के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। अवशेष धनराशि जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टोंस वन प्रभाग, पुरोला के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अन्त तक प्रभाग मे पशु क्षति के 171 प्रकरण लंबित थे जिनके सापेक्ष **₹ 35.22** लाख भुगतान लेखापरीक्षा तिथि (01/2019) तक नहीं किया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि बजट की अनुपलब्धता के कारण भुगतान नही किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में **₹ 20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जाना था जो कि नहीं किया गया था।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने व **₹ 35.22** लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>व्यय से संबन्धित</u>

<u>भाग 2 "ब"</u>

<u>प्रस्तर-</u> 4 <u>:</u> अग्रिम मृदा कार्य किये बिना पौधरोपण पर अधोमानक व्यय ` 2.50 लाख ।

वृक्षारोपण संहिता, वन-विभाग, उत्तर प्रदेश द्वितीय पुनरीक्षण जून 2016 के बिन्दु 2.2.20 (वृक्षारोपण कार्य का समय) के अनुसार वृक्षारोपण कार्य की सफलता के लिए समय से अग्रिम मृदा कार्य किया जाना अति महत्वपूर्ण होता है।

कार्यालय वन-संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश संख्या 695/1-14(4) दिनाँक 03.08.2015 के अनुसार रोपण हेतु पौध तैयार करने में तीन वर्षों में ` **9.61** का व्यय होता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टोंस वन प्रभाग पुरोला के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वृक्षारोपण से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास योजना के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य कर क्रमश: 92314 एवं 16500 गड्ढों को तैयार कर वृक्षारोपण का कार्य किया गया जबकि वृहद वृक्षारोपण के अन्तर्गत 26000 पौध का रोपण बिना अग्रिम मृदा कार्य किए ही किया गया था। इस प्रकार 26000 पौधों का रोपण बिना अग्रिम मृदा कार्य किये जाने से ` 2,49,860/- (26000*9.61) का अधोमानक पौधरोपण का कार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि बिना अग्रिम मृदा कार्य किये पौधरोपण नहीं किया जा सकता है। परन्तु, शासन से वृहद वृक्षारोपण हेतु जुलाई व अगस्त माह मे लक्ष्य प्राप्त होने के कारण कार्य करवाया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
18/16-17	-	01,02	
107/14-15	-	01,02,03 & 04	
20/11-12	-	04&06	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताए: शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री आर0वी0मिश्रा	उ0व0सं0

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, टोन्स वन प्रभाग, पुरोला** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र